ई–मेल/आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार

स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांक प. 9 (3)/शिक्षा–5/ऑनलाईन मान्यता/2017 जयपुर दिनांक 12/5/17

निदेशक

प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर।

विषयः–गैर–सरकारी विद्यालयों की मान्यता प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

शैक्षिक सत्र 2017–18 के लिए गैर–सरकारी विद्यालयों की मान्यता का कार्य राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 9(3)शिक्षा –5/ऑनलाईन मान्यता दिनांक 17.3.2017 के अनुसरण में किया जा रहा है। दिनांक 17.04.2017 को आयुक्त रा.प्रा.शि.प., जयपुर, वरिष्ठ उपशासन सचिव शिक्षा ग्रुप–5 विभाग, जयपुर तथा निदेशालय प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के अधिकारियों द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से मान्यता प्रक्रिया की समीक्षा की गयी। इस समीक्षा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा बताई गयी समस्याओं एवं ऑनलाइन आवेदन तथा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में पत्रावली प्राप्त करते समय आ रही कठिनाइयों के समाधान हेतु मान्यता के लिए निरीक्षण दलों के गठन, निरीक्षण के दौरान निरीक्षणकर्ताओं के लिए करणीय कार्यों एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के स्तर से किए जाने वाले कार्यों के लिए निदेशालय प्रा.शि./मा.शि. एवं एनआईसी के सहयोग से तैयार विस्तृत दिशा–निर्देश प्रसारित किए जाना आवश्यक है। अतः इस कार्यालय के पूर्व के आदेश क्रमांक प. 9(3)शिक्षा –5/ऑनलाईन मान्यता दिनांक 17.03.2017 को जारी दिशा–निर्देशों के अध्याय–3 के अतिक्रमण में निम्नांकित दिशा–निर्देश प्रसारित किए जाते हैंः–

1. आवेदन पत्रों को कार्यालय में प्राप्त करना, जॉच करनाएवं ऑनलाइन प्रविष्टि करनाः–

1.1 संस्था द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन की पत्रावली को कार्यालय में प्राप्त करते समय, पत्रावली में उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रविष्टियों एवं आवेदन में वर्णित सभी संलग्नकों का ठीक से मिलान कर लें।

1.2 आवेदन पत्रों की जॉच का कार्य ऑनलाइन तरीके से किया जाना है। यह जॉच सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगिन में उपलब्ध विद्यालय के ऑनलाइन आवेदन तथा विद्यालय द्वारा कार्यालय में ज़मा करवायी गयी पत्रावली के माध्यम से की जाएगी।

1.3 सर्वप्रथम विद्यालय द्वारा दी गयी मान्यता आवेदन शुल्क की राशि का मिलान करना है, जिसके लिए आवेदन शुल्क की जितनी राशि आवेदन पत्र में अंकित है उतनी राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट दिया गया है तथा ड्राफ्ट का क्रमांक एवं दिनांक सही है इसकी जॉच कर लें।एक से अधिक ड्राफ्ट होने की स्थिति में यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में सभी ड्राफ्ट के विवरण की प्रविष्टि की गयी है।

1.4 विद्यालय टीएसपी अथवा नॉन टीएसपी एरिया में है इसकी भी जॉच कर लें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि मान्यता शुल्क की राशि इस विवरण के अनुसार सही है।

1.5 मान्यता आवेदन शुल्क की जॉच करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन के समय संस्था द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों का मिलान किया जाना है। ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेजों को खोलकर देख लें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि सही दस्तावेज ही अपलोड किये गये हैं तथा इसकी प्रति विद्यालय की पत्रावली में उपलब्ध है।